न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्री वासुदेव मालावत, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 35 / 2018 (प्रा0पत्र–रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद, जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

ग्राम पंचायत मण्डाप, तहसील सांगोद जिला कोटा

(अप्रार्थी)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की
धारा 82 के तहत रेफरेन्स कार्यवाही

निर्णय दिनांक : 12.07.2019

1. प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत यह प्रार्थना इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम मण्डाप तहसील सांगोद जिला कोटा के साबिक खसरा नम्बर 82 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा किस्म गै0 मु0 तलाई जमाबन्दी सम्वत् 2015–2024 में दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 के अनुरूप नदी तल या तालाब की भूमि जो आकष्मिक या कभी कभी खेती के काम में ली जाती हो, ऐसी भूमियां खातेदारी अधिकार अथवा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4(1) के तहत आवंटन / खातेदारी योग्य भूमियों की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त प्रकार की भूमियां सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में आती है, किन्तु उक्त प्रावधान के होते हुए भी आंवटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त साबिक 82 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि अप्रार्थी ग्राम पंचायत मण्डाप को आवंटन किया गया। जो अवैधानिक होने से खारिज होने योग्य है। उक्त आवंटित भूमि का अप्रार्थी आवटी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 252 दिनांक 02.1.90 से दर्ज गेरखातेदारी एंव तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या – से प्रदत्त खातेदारी अनियमित होने से खारिज होने योग्य है। मिलान क्षैत्रफल भू–प्रबन्ध सम्वत् 2058 से 77 अनुसार उक्त खसरा नम्बर 82 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा के हाल (नवीन) खसरा नम्बर 341 रकबा 0.06, 342 रकबा 0.21, 350 रकबा 0.57, 358 रकबा 0.09 किता 4 रकबा 0.93 है0 बनाये गये तथा मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2058 से 2077 उक्त खसरा नम्बर 341, 342, 350, 358 कुल किता 4 रकबा 0.93 है0 किस्म गैर मु0 आबादी पर खातेदार दर्ज रिकार्ड किया गया है। जो अनियमित होने से खारिज होने योग्य है।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से बाद तामील नोटिस कोई उपस्थित नहीं हुआ।

5. पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है कि ग्राम मण्डाप तहसील सांगोद जिला कोटा के साबिक खसरा नम्बर 82 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा किस्म गै0 मु0 तलाई जमाबन्दी सम्वत् 2015–2024 में दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 के अनुरूप नदी तल या तालाब की भूमि जो आकष्मिक या कभी कभी खेती के काम में ली जाती हो, ऐसी भूमियां खातेदारी अधिकार अथवा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4(1) के तहत आवंटन / खातेदारी योग्य भूमियों की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त प्रकार की भूमियां सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में आती है, किन्तु उक्त प्रावधान के होते हुए भी आंवटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त साबिक 82 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि अप्रार्थी ग्राम पंचायत मण्डाप को आवंटन किया गया। जो अवैधानिक होने से खारिज होने योग्य है। उक्त आवंटित भूमि का अप्रार्थी आवटी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 252 दिनांक 02.1.90

से दर्ज गेरखातेदारी एंव तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या – से प्रदत्त खातेदारी अनियमित होने से खारिज होने योग्य है। मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध सम्वत् 2058 से 77 अनुसार उक्त खसरा नम्बर 82 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा के हाल (नवीन) खसरा नम्बर 341 रकबा 0.06, 342 रकबा 0.21, 350 रकबा 0.57, 358 रकबा 0.09 किता 4 रकबा 0.93 है0 बनाये गये तथा मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2058 से 2077 उक्त खसरा नम्बर 341, 342, 350, 358 कुल किता 4 रकबा 0.93 है0 किस्म गैर मु0 आबादी पर खातेदार दर्ज रिकार्ड किया गया है। जो अनियमित होने से खारिज होने योग्य है।

6. अतः अप्रार्थी के पक्ष में विधि विपरीत रूप से किया गया आवंटन खारिज कर वाके ग्राम मण्डाप तहसील सांगोद की उक्त आराजी के वर्तमान खसरा नम्बर 341 रकबा 0.06, 342 रकबा 0.21, 350 रकबा 0.57, 358 रकबा 0.09 किता 4 रकबा 0.93 है0 पूर्ववत गै0मु0 तलाई दर्ज कर पुनः राजकीय सिवायचक खाता सरकार दर्ज करने हेतु तहसीलदार सांगोद द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रकरण श्री मान निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा